यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
UJVN LIMITED
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

उपमहाप्रबन्धक (मानव संसाधन विभाग), "यमुना भवन", यमुना कालोनी, देहरादून -248001 (उत्तराखण्ड) दूरभाष-0135-2530584 फैक्स-0135-2531646
Dy. General Manager (Human Resource), Yamuna Bhawan, Yamuna Colony, Dehradun -248001 (Uttarakhand) Phone -0135-2530584 Fax - 0135-2531646
CIN No.U40101UR2001SGC025866
ISO 9001,14001 Certified

कार्यालय ज्ञापन

एतद्द्वारा, यूजेवीएनलिमिटेड के कार्यालय ज्ञापन संख्या 204/UJVNL/05/Director HR/DGM(IR)/Empanelment of Hospitals Dated: 06/10/202 नुक्रम में **कनिश्क सर्जिकल एण्ड सुपरस्पेशियलिटी हास्पिटल, रिस्पना पुल एवं रेलवेक्रासिंग के मध्य, मुख्य हरिद्वार बाई पास रोड़, देहरादून** क ज़ेवीएन लिमिटेड के सेवारत/सेवानिवृत्तकार्मिक एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजन तथा पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युतपरिशद/उ०प्र० पावर कारपोरेश ०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० के, वे सेवानिवृत्तकार्मिक जो यूजेवीएनलिमिटेड में आमेलित हैं एवं सेवारत/ सेवानिवृत्तकार्मिक की मृत्यु की अवस्था में उसक ाश्रित पत्नी (पारिवारिक पेंशनर) को क्रेडिटसुविधा (कैश लैस) एवं सामान्य चिकित्सा हेतु चिकित्सालय में नियमानुसार भर्ती के दौरान/बाहय रोगी की हैसियत पचारकराये जाने पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु **दिनांक 01.01.2022 से दिनांक31.12.2023 तक** (02) दो वर्ष केलिये निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों नुरूप मान्यता विस्तारित की जाती हैं :—

1. चिकित्सालय संलग्न दर सूची सी०जी०एच०एस०, देहरादून 2014 (CentralGovernment Health Scheme, Dehradun 2014) (NABH) (Updated on 0 May2021) इस आदेश के निर्गमन की दिनांक से दिनांक 31.12.2023 तक की अवधि के लिये क्रेडिट सुविधा (कैश लैस) मान्य होगी एवं दिनांक 01.01.202 से आदेश निर्गमन तककी अवधि से सम्बन्धित प्राप्त होने वाले प्रकरणों का निस्तारण चिकित्सालय की पूर्वदर सूची के अनुसार किये जायेगें।

2. **यूजेवीएन लिमिटेड के आदेशसंख्या 1352 दिनांक 28.10.2021 के द्वारा क्रेडिट सुविधा (कैश लैस) के अन्तर्गत होनेवाले चिकित्सा व्यय क प्रारम्भ में आपात स्थिति की व्यवस्था हेतु राशि रू० 03 (तीन)लाख तक निगम हित में निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सीमित किय गया है:—**

   a. सेवारत कार्मिकों को उपरोक्त राशि से अधिक व्यय होने पर अन्तरकी राशि के सापेक्ष नियमानुसार चिकित्सा अग्रिम की सुविध अनुमन्य होगी अथवा स्वयंवहन किये जाने की दशा में प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

   b. सेवानिवृत्त कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनर (पत्नी) द्वारा अन्तर कीराशि के चिकित्सा व्यय को स्वयं वहन किया जायेगा, जिसक प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

3. उक्त चिकित्सालय सामान्य चिकित्सा हेतु **सी०जी०एच०एस०, देहरादून 2014 (CentralGovernment Health Scheme, Dehradun 2014) (NAB (Updated on 04th May2021)** में दर्शाई गई दरोंपर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से सीधेभुगतान प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्य चिकित्सालय/कार्मिक को देय नहींहोगा।

4. क्रेडिट सुविधा (कैश लैस) केवल चिकित्सालय में भर्तीहो कर कराये गये उन रोगों, जिनका उल्लेख सम्बन्धित आयकर आयुक्त द्वारा सम्बन्धितचिकित्साल को निर्गत किये गये आयकर छूट प्रमाण पत्र उपायुक्त आयकर नई दिल्ली द्वारा आयकर विमुक्ति प्रमाण पत्र निर्गत हैं, केउपचार कराने हेतु ही मान्य होगी।

5. ओ०पी०डी० अथवा डे–केयर में कराये गये उपचारोंके मामलों में उक्त क्रेडिट सुविधा (कैश लैस) अनुमन्य नहीं होगी।

6. हृदय रोग में एन्जियोग्राफी, टी०बी०, कैंसर, किडनी,प्रोस्टेट, लीवर फंक्शन रोगों के ईलाज हेतु भर्ती होने से पूर्व परीक्षण मेंहोने वाले व्यय को चिकित्सालय बीजक में उसी स्थिति में सम्मिलित किया जा सकेगा किपरीक्षण भर्ती वाली दिनांक को ही हुए हो, जिसका विवरण चिकित्सालय को स्पश्ट रूप सेबीजक में उल्लिखित करना होगा। भर्ती होने की दशा में भर्ती पूर्व परामर्श शुल्कदेय नहीं होगा।

7. इम्प्लान्ट स्थापित होने की स्थिति में केवल भारतीय इम्प्लान्टकी सुविधा ही देय होगी। आयातित इम्प्लान्टएवं भारतीय इम्प्लान्ट के अन्तर की राशि को सम्बन्धित रोगी अथवा कार्मिक द्वारा स्वयंवहन किया जायेगा। चिकित्सालय द्वारा चिकित्सालय बीजक में उल्लिखित किसी भी इम्प्लान्ट काबीजक डिस्चार्ज के समय चिकित्सालय बीजक के साथ ही दिया जायेगा।

8. चिकित्सालय बीजक में कोई भी भोजन, टानिक, पौश्टिकआहार एवं प्रसाधन सामग्री सम्मिलित नहीं की जायेगी। उक्त से सम्बन्धित राशिरोगी/कार्मिक द्वारा स्वयं वहन की जायेगी। आवश्यक्ता पड़ने पर ऐसी सामग्री मरीज केस्वयं के व्यय पर खरीद कर मंगाई जा सकती हैं अथवा इस हेतु चिकित्सालय प्रबन्धन यदिचाहे तो रोगी/कार्मिक से एक मुश्त राशि जमा करा सकता हैं। चिकित्सालय द्वारा जोसामग्री चिकित्सालय बीजक में सम्मिलित नहीं की जायेगी, से सम्बन्धित अनुसूचियां संलग्नकी जा रही हैं :—

क–Schedule 1 (Enclosed)
<u>PREPARATIONS CLASSIFIED AS FOOD</u>

a- Invalid Food
b- Baby Food
c- Weaning Foods
d- Glucose Preparations
e- Liquid Food and Wines
f- Meat Extracts and Juices
g- Carbonated/Flavoured/Sweetened Beverages
h- Protein-Biscuits

i- Miscellaneous Preparations

PREPARATIONSCOMMONLY USED AS TONICS

a. Tonics

TOILETPREPARATIONS

DISNEFCTANTS

Preparations normally used for ToiletPurpose

ख– **Annexure I (Enclosed)**

NON MEDICAL EXPENSES

9. उपचार के उपरान्त चिकित्सालय से अवमुक्त होने पर रोगीको आवश्यक होने पर अधिकतम पन्द्रह (15) दिन की दवाईयां चिकित्सालय द्वार अनुमन्यकराई जायेगी, जिनके मूल्य का समावेश अन्तिम बीजक में पृथक रूप से दर्शाना अनिवार्यहोगा।

10. यदि किसी रोग विशेश में पैकेज सुविधा उपलब्ध होऔर पैकेज दर सामान्य चिकित्सा दरों से कम हो तो ऐसी स्थिति में यथा सम्भवपैकेज सुविध उपलब्ध कराई जायेगी एवं उसका विस्तृत बिल (Detailed Bill) चिकित्सालय द्वारा उपलब्धकराया जायेगा।

11. क्रेडिट सुविधा (कैश लैस) को लागू किये जाने हेतुयूजेवीएन लिमिटेड द्वारा अधिकतर सेवारत/ सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा पारिवारिकपेंशनरों के हैल्थ का निर्गत किये जा चुके हैं, जिस पर सम्बन्धित कार्मिक केसाथ–साथ उसके आश्रित परिजनों का नाम, जन्म तिथि, कार्मिक से सम्बन्ध एवंफोटो अंकित हैं, क चिकित्सालय में प्रस्तुत करना होगा एवं साथ ही उन्हें अपनेसम्बन्धित कार्यालय से प्राधिकार पत्र (Authorisation Letter) निर्धारित प्रारूप में निर्गत करव करचिकित्सालय में 02 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उन्हें क्रेडिट सुविधा(कैश लैस) अनुमन्य नहीं होगी। हैल्थ कार्ड निर्गत न हो पाने वा कार्मिक कोसम्बन्धित कार्यालय से अपनी पहचान सम्बन्धी आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर निर्धारित प्रारूपमें प्राधिकार पत्र (AuthorisationLetter) निर्ग करने वाले अधिकारी को प्रस्तुतकरने होगें। क्रेडिट सुविधा (कैश लैस) में प्राधिकार पत्र (Authorisation Letter)सभी सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक एवं उ पर पूर्णतया आश्रित परिजन तथा पारिवारिकपेंशनर सहित को अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा। उक्त प्राधिकार पत्र (Authorisation Letter)निर्गत कि जाने की व्यवस्था यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशोंके अनुसार होगी।

12. किसीभी सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक अथवा पारिवारिक पेंशनर द्वारा किसी भी प्रकार कीगलत/भ्रामक सूचना देकर चिकित्सालय में क्रेडिटसुविधा (कैश लैस) का लाभ लेकर कराई गई चिकित्सा हेतु सम्बन्धित कार्मिकस्वयं जिम्मेदार होगा, जिस पर हुए समस्त व्यय की वसूली सम्बन्धित कार्मिक से करते हुएउसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

13. इलाजपूर्ण हो जाने पर डिस्चार्ज के उपरान्त कनिश्क सर्जिकल एण्ड सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, रिस्पना पुल एवं रेलवे क्रासिंग के मध्य, मुख्यहरिद्वार बाई पास रोड़, देहरादून के अधिकृत प्राधिकारी द्वारानिगम द्वारा निर्धारित अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर कार्मिक के हस्ताक्षरों सहित एवं सक्षमअधिकारी द्वारा चिकित्सालय को उपलब्ध कराये गये प्राधिकार पत्र (Authorisation Letter) एवं अन्य सम्बन्धित प्रमाण पत्रों/अभिलेखों सहित अधिकृत चिकित्सकके सत्यापन के उपरान्त विस्तृत बीजक (Detailed Bill) उपमहाप्रबन्धक (कार्मिक),यूजेवीएन लि०, यमुना भवन, यमुना कालोनी, देहरादून को उपलब्ध कराये जायेगें।

14. कनिश्क सर्जिकल एण्ड सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, रिस्पना पुल एवं रेलवे क्रासिंग के मध्य, मुख्य हरिद्वार बाई पास रोड़, देहरादून द्वाराउपमहाप्रबन्धक (कार्मिक), यूजेवीएन लि०, यमुना भवन, यमुना कालोनी, देहरादून कोप्रेशित बीजकों के प्राप्त होने के दिनांक से 60 (साठ) दिनों के भीतर चिकित्सालयक भुगतान किया जायेगा।

15. क्रेडिट सुविधा (कैश लैस)के अन्तर्गत देयता हेतु किसी भी प्रकार की भ्रान्ति/संशय की स्थिति में उपमहाप्रबन्धक(कार्मिक) यूजेवीएन लि०, यमुना भवन, यमुना कालोनी, देहरादून से आवश्यक परामर्श प्राप्त करने के उपरान्त कार्यवाहीकी जायेगी।

16. कनिश्क सर्जिकल एण्ड सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, रिस्पना पुल एवंरेलवे क्रासिंग के मध्य, मुख्य हरिद्वार बाई पास रोड़, देहरादून द्वारा क्रेडिटसुविधा (कैश लैस) के अन्तर्गत यूजेवीएन लि० के किसी भी कार्मिक के चिकित्सालय मेंभर्ती होने की दशा में प्रत्येक सप्ताह (07 दिन) के अन्तराल में सम्बन्धित कार्मिक र सम्बन्धित सूचना/रिर्पोटमानव संसाधन विभाग को ई–मेल madan.kumar@ujvnl.com केमाध्यम से उपलब्ध करानी होगी।

17. चिकित्सालयकी निम्नलिखित बिंदुओ के अनुपालन न करने पर उपरोक्त मान्यता कभी भी समाप्त कीजा सकती है :–

a मान्यताअवधि में चिकित्सालय प्रबन्धन द्वारा चिकित्सा दरों में कोई वृद्धि किये जाने पर।

b किसी बिल में निर्धारित दरों से अधिक राशि लेने की शिकायतआने या शिकायत का समाधान न होने पर।

c दर सूचीमें जो मद देय नहीं हैं, को अस्पताल के बिल में सम्मिलित किये जाने पर।

d अस्पतालको पुलिस केस में, कन्ज्यूमर फोरम में अथवा न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।

e अस्पताल के विरूद्ध यूजेवीएन लि० के मरीजों द्वारा लापरवाही याअसहयोग की शिकायते आने पर अथवा उनका समाधान न होने पर।

चिकित्सालय प्रबन्धन को निगम द्वारा सहमत दरों पर चिकित्सा सुविधाउपलब्ध कराये जाने एवं उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो के अनुपालन हेतु सहमा ०100.00 के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पर यह आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के भीतरउपलब्ध करानी होगी। **(प्रारूप संलग्न)**

प्रबन्धनिदेशक

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।

3. निदेशक(परिचालन) / (परियोजनाएं) / (वित्त) / (मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।

4. अधिशासीनिदेशक (जानपद) / (वि० / या०) / (ओ०एण्डएम०) / (वित्त) / (मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड,देहरादून।

5. समस्तमहाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड **को इसअनुरोध के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इस आदेश की प्रति अपनेस्तर र प्रेशित करने का कश्ट करें।**

6. उपमहाप्रबन्धक (कार्मिक), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।

7. उपमहाप्रबन्धक (आई०टी०), यूजेवीएन लिमिटेडदेहरादून को **निगम की वैबसाइट पर"चिकित्सालयों की मान्यता शीर्शकके अन्तर्गत" अपलो करने हेतु।**

8. कम्पनी सचिव, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।

9. उप मुख्य लेखाधिकारी, सी०एस०पी०पी०ओ०, यूजेवीएन लिमिटेड,देहरादून।

10. वरिश्ठ विधि अधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।

11. चिकित्साधिकारी, मुख्यालय यमुना भवन, देहरादून।

12. डा० मुकेश कुमार गुप्ता, कनिश्कसर्जिकल एण्ड सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल, रिस्पना पुल एवं रेलवेक्रासिंग के मध्य, मुख्य हरिद्वार बाई पास रोड़, देहरादू को आदेश संख्या 1352दिनांक 28.10.2021 (छाया प्रति संलग्न) एवं प्राधिकार पत्र ;।नजीवतपेंजपवदस्मजजमतद्ध निर्गतकरने हेतु अधिकृत अधिकारियों व आदेश की छाया प्रति सहित।

13. अध्यक्ष / महामंत्री समस्तयूनियन / एसोसिएशन।

(राजेश चन्द्र)
उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०)